कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 5762 **/बिलासपुर/दिनांक** -14-8-17

प्रति,

1. वनमण्डलाधिकारी/ नोडल अधिकारी
   कटघोरा, वनमण्डल,
   बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी,
   छ.ग. ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडार
   रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :– **वन सरंक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडार 122 कि.मी. के लिए वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत्।**

पंजीयन कोड क्रमांक/FP/CG/RAIL/6817/2014

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वनसंक्षक, भू–प्रबंध का पत्र क्रमांक/विविध/2472 दिनांक 11.08.2017

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि, प्रकरण में नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा, परीक्षण कर बिन्दू क्रमांक 01 से 08 तक पायी गई कमियों को पूर्ण कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है, अतः आवेदक संस्थान एवं वन विभाग की ओर से कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव तैयार कर 03 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्रं. /तक/ 5763

बिलासपुर, दिनांक 14-8-17

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमंण्डल (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
   संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2552233
ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

रायपुर, दिनांक 11/08/2017

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–442/2472

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषयः– **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ईस्ट वेस्ट रेल कॉरीडोर 122 कि. के लिए वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबद।**
– **पंजीयन क्रमांक FP/CG/Rail/ 6817/2014**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्र/ तक/1761 दिनांक 25.07.2017

=0=

आवेदनकर्ता, मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट – वेस्ट रेल कॉरीडार रायपुर द्वारा कोरबा एवं बिलासपुर ज़िले के कटघोरा एवं मरवाहीं वन मंडल में कुल 459.523 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव संदर्भित पत्र से प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण नोडल कार्यालय द्वारा किया गया। इसमें निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर द्वारा हस्ताक्षरित Form -A, Part- III (online) वेब पर अपलोड नहीं किया गया है।
2. Form -A, Part- I की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
3. मुख्य वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित Time Line प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव की पेजिंग त्रुटिपूर्ण है।
5. प्रस्ताव में भाग – 3 में मुख्य वन संरक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।
6. भारत सरकार के निर्देश दिनांक 01.08.2017 के अनुसार Cost Benefit Analysis नयी गाइडलाईन के अनुसार करते हुए पुनरीक्षित करें।
7. कलेक्टर कोरबा द्वारा का FRA प्रमाण पत्र 27.698 हे. वन भूमि एवं 354.601 हे. राजस्व वन भूमि का प्रमाण पत्र दिया गया है जबकि राजस्व वन भूमि का रकबा 382.344 हे. है। इस प्रकार 0.045 हे. कम राजस्व वन भूमि का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
8. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत जानकारी जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा जो पोर्टल में online प्रस्तुत किया गया है उनमें अंतर है। प्रस्ताव में वन मंडलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव बिना किसी त्रुटि के प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है।

संलग्नः– प्रस्ताव 4 प्रतियों में

(उप वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू– प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक 11/08/2017

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–442/2473
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **कलेक्टर** – जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
– FRA प्रमाण पत्र **www.forestclearances.nic.in** पर अपलोड तत्काल करने का कष्ट करें।
2. **वन मंडलाधिकारी** – मरवाही एवं कटघोरा वन मंडल, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमि. CSIDC कॉम्लेक्स, महादेव घाट रोड रायपुर, छत्तीसगढ़

(उप वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ